(4)

रजिस्टर्ड

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक–सी–6/एम.आर/सेल–1/2019/ 1071 भोपाल, दिनांक 13/09/2019

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त अधिष्ठाता,
   चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने बाबत्।

संदर्भः– अवर सचिव म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1005/955/2019/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 04.09.2019

———000———

उपरोक्त विषयांर्गत लेख है कि अवर सचिव म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय द्वारा माननीय न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में अवमानना याचिका क्रमांक 425/2015 के संबंध में दिये गये निर्देशों के पालन में आदेश क्रमांक एफ 5–11/2018/एक (1) दिनांक 24.07.2019 के द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति संदर्भित पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

13.9.19

(डॉ. मोहन सिंह)
संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक–सी–6/एम.आर/सेल–1/2019/ भोपाल, दिनांक / /2019

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की ओर सुचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की ओर आपके पत्र क. 1005/955/2019/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 04.09.2019 के संदर्भ में सुचनार्थ प्रेषित।
3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर सुचनार्थ प्रेषित।

हस्ता–

संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(2)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल–462004

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(आज्ञा–3)
आदेश क्र. 955
दिनांक 26/07/2019

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई, 2019

:: आदेश ::

क्रमांक एफ 5–11/2018/एक (1) : अवमानना याचिका क्रमांक 425/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए के संबंध में दिए गए निर्देशों के पालन में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:–

निर्देश (1) Reimbursement for medical treatment in private hospitals without prior approval of the state Government.

निर्णय–आकस्मिक (Emergency) उपचार की आवश्यकता की स्थिति में तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सूचीबद्ध अस्पतालों (परिशिष्ट–1) में, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सूचीबद्ध राज्य के बाहर के अस्पतालों (परिशिष्ट–2) में तथा CGHS द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित पैकेज अनुसार उपचार कराने पर राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

निर्देश (2) Sanctioning Authority to be the Registrar General of the High Court.

निर्णय–स्वीकृतकर्ता अधिकारी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल होंगे।

निर्देश (3) Reimbursement to be provided for treatment taken in any other State; and

निर्णय-- संबंधित मेडिकल कॉलेज के डीन की अनुशंसा के आधार पर अन्य राज्यों में उपचार के देयकों की प्रतिपूर्ति की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक क्रमांक एफ 5–11/2018/एक (1), भोपाल, दिनांक 24 जुलाई, 2019

प्रतिलिपिः–

(1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर।
(2) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
(3) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
(4) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग।
(5) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग 24/7/19